

4/10/19

उपखण्ड अधिकारी

सुमेरपुर (पाली)

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी P.P समान पेश करे। पेश होने पर तलवी जारी होकर पत्रावली 21/11/19 का पेश हो।


धुनक्षय :- वादी के अधिवक्ता श्री गणपत लाल चौधरी ने 170 पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 CPC पेश किया। वकील वादी का 170 पत्र स्वीकार किया जा रहा है। वकील वादी सक्षम न्यायालय में नया वाद पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगा इस आधार पर वकील वादी का

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म तामील
नंबर व
तारीख

५१० पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली
फैसल सुनार लेकर नम्बर से काट ले।
निर्णय आज दिनांक ३/१०/१९ का सरेइजलास
सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

